भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3352
जिसका उत्तर मंगलवार 7 अगस्त, 2018 को दिया जाना है

विद्युत वाहनों का विनिर्माण

3352. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में विद्युत वाहनों के विनिर्माण या उनके विनिर्माण को प्रोत्साहित करने की कोई योजना है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या उक्त वाहनों को स्वदेशी तरीके से निर्मित किया जा रहा है या किसी अन्य देश की सहायता से निर्मित किया जा रहा है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार को विनिर्माताओं से विद्युत वाहन संयंत्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ङ): देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से दो वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए फेम इंडिया स्कीम [भारत में इलेक्ट्रिक (और हाइब्रिड) वाहनों का विनिर्माण और तीव्र अंगीकरण] आरंभ की है, जिसे आगे दिनांक 30 सितंबर, 2018 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन (एक्सईवी) के बाजार विकास और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए इसके विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र की सहायता करना है। इस स्कीम को बल दिए जाने वाले चार क्षेत्रों नामतः मांग सृजन, प्रायोगिक परियोजना, प्रौद्योगिकी मंच/अनुसंधान एवं विकास और चार्जिंग अवसंरचना के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

इस स्कीम के मांग सृजन घटक के अंतर्गत, व्यापक अंगीकरण को सुगम बनाने के लिए अपफ्रंट कम खरीद मूल्य के रूप में एक्सईवी के खरीददार के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध है। इस स्कीम के माध्यम से दिए जा रहे मांग प्रोत्साहनों के ब्यौरे स्कीम की राजपत्र अधिसूचना के अनुबंध-13 में दिए गए हैं, जो भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट (www.dhi.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

सरकार द्वारा स्कीम के अंतर्गत बल दिए जाने वाले विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् प्रायोगिक परियोजनाओं, प्रौद्योगिकी मंच/अनुसंधान एवं विकास और चार्जिंग अवसंरचना के तहत विशिष्ट परियोजनाओं का भी निधियन किया जाता है।

फेम इंडिया स्कीम की राजपत्र अधिसूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि

"मांग प्रोत्साहनों के लिए अर्हता मानदण्ड को पूरा करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ इसके प्रकार और रूपांतर सहित हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहन (एक्सईवी)

(क) भारत में बनाए जाएंगे।

(ख) इसके वर्गीकरण, श्रेणीकरण, परिभाषा, सड़क पर उपयुक्तता, टाइप अनुमोदन, पंजीकरण आदि के संदर्भ में केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) में शामिल उपबंधों को पूरा करेंगे।"

भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय को इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र स्थापित करने के लिए विनिर्माताओं से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****